राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 ई–मेलः jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)भर्ती(2023)/अलेसे–III/2757 दिनांकः– 10.02.2025

आदेश

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा–2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थी श्री प्रदीप सिंह (रोल नं. 723180) द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 623/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2025 में श्री प्रदीप सिंह द्वारा विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 30.12.2024 का निस्तारण किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

श्री प्रदीप सिंह द्वारा विभाग में अभ्यावेदन दिनांक 30.12.2024 प्रस्तुत कर कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में मेडिकल परीक्षण के दौरान अस्वीकृत करने के कारणों से अवगत कराते हुए उक्त त्रुटि को सुधार करने हेतु लिखा है।

उल्लेखनीय है कि श्री प्रदीप सिंह द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में विकलांग श्रेणी (Low Vision) में आवेदन किया गया। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 27.06.2024 को उक्त भर्ती परीक्षा का अन्तरिम परिणाम जारी कर विज्ञापित पदों के लगभग दोगुने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की सत्यता की जांच हेतु सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। श्री प्रदीप सिंह के मेडिकल परीक्षण उपरान्त दिव्यांगजन बोर्ड सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा इनकी 'हाई मायोपिया' में केवल 10% दिव्यांगता अंकित की गई है, जबकि दिव्यांग श्रेणी का लाभ लेने हेतु न्यूनतम 40% दिव्यांगता होना अति आवश्यक है। जिस कारण श्री प्रदीप सिंह को दिव्यांगजन बोर्ड सवाई मानसिंह चिकित्सालय द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार पद हेतु दिव्यांगता की श्रेणी में पात्र नहीं माना है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन उपरान्त कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रेषित सूची में उक्त अभ्यर्थी को दिव्यांगता श्रेणी में अपात्र करते हुए सूची बोर्ड को प्रेषित की गई।

श्री प्रदीप सिंह की कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा में पात्रता के सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर जांच उपरान्त ही निर्णय लिया गया है। अतः उक्तानुसार श्री प्रदीप सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.3(ई)(1)(6)भर्ती(2023)/अलेसे–III/2757 दिनांकः– 10.02.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजि सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपविधि परामर्शी, कोष एवं लेखा विभाग।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री प्रदीप सिंह (रोल नं. 723180)
7. रक्षित/निजि पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)